

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

संकल्प

दिनांक

विषय:- राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रुपये स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापांक-14/एम० 6-03/96-5308 (क) दिनांक 24.07.2001 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01.06.2001 से प्रभावी है ।

2. वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा थी कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भाँति 200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए ।

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- चिकित्सा भत्ता की दर के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए ।

4. यह आदेश दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को राज्य सरकार के राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(बी० राजेन्द्र)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञाप सं०-वि०(27) पे०को०-42/2012

/वि०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(बी० राजेन्द्र)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञाप सं०-वि०(27) पे०को०-42/2012

1084/वि०, पटना, दिनांक

04.08.2014

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बेली रोड, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) सभी जिला भविष्य निधि पदा०/ सभी कोषागार/सभी उप कोषागार पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajendra
4.8.2014

(बी० राजेन्द्र)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

रजु.

04.08.14